

न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुडोपा)

दांडिक प्रकरण कमांक०-९० / २००९
संस्थापित दिनांक ०१ / ०४ / २००९
फाईलिंग नम्बर २३३५०४०००१०२००९

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,
 थाना आमला जिला बैतूल (म०प्र०)

-----अभियोजन

—: विरुद्ध :-

राजा पिता सुखेदव उर्फ सुखदास मोरले, उम्र २७ वर्ष,
 जाति मेहरा, व्यवसाय मजदूरी, नि० बोडखी,
 तह० आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

-----अभियुक्त

—: निर्णय :-

(आज दिनांक- २६ / १२ / २०१६ को घोषित)

१— अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा २५(१-बी) बी के तहत अभियोग है कि घटना दिनांक १८.०३.०९ के १५ बजे मेहरा मोहल्ला लोहार चौक बोडखी सार्वजनिक स्थान पर बिना मय अनुज्ञा पत्र के विनिर्दिष्ट मापदण्ड से अधिक लंबाई चौड़ाई का आयुध धारदार छुरी अपने ज्ञानयुक्त आधिपत्य में अवैध रूप से रखे हुये पाये गये, जो कि म०प्र० राज्य की अधिसूचना क्र०-६३१२-६५५२(२)बी(१) दिनांक २२.११.७४ का उल्लंघन किया।

२— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक ०१ / ०८ / ०९ को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि राजा की ज्योति नागले द्वारा की रिपोर्ट पर बोडखी चौक पर छुरी लेकर उसके भाई कंचन से लड़ रहा है और कोई भी घटना कर सकता है सूचना पर हमराह क्रं. ६९ संतोष गिरी को जाकर बोला चौक पर जाकर दबिश दी जहां पर राजा हाथ में लंबी छुरी लिये कंचन से मारपीट करने पर उतारू था जिसे पकड़ा और उसके कब्जे से मारपीट करने से एक छुरी मुताबिक जप्ती पत्रक के मौके के साक्षी कंचन एवं विक्की को १५ बजे रात के आरोपी राजा को गिरी उपरोक्त गवाहों के घटना घटित किया। आरोपी राजा का कृत्य २५ आर्म्स एक्ट की परिस्थितियाँ आने से अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया।

३— प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी० ४ है लेखबद्ध किया गया। जिसके आधार पर अपराध क्रमांक ११६ / ०९ में २५ आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। दिनांक १८.०३.०९ को सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्रदर्शनी-१ है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किया है। दिनांक १८.०३.

09 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्शनी-2 तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण करने के उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

4- अभियुक्त के विरुद्ध धारा 313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त का अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त ने अपने अभियुक्त परीक्षण में कहा कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त कथन के दौरान बचाव पक्ष ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

5- :न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

“क्या घटना दिनांक 18.03.09 के 15 बजे मेहरा मोहल्ला लोहार चौक बोडखी सार्वजनिक स्थान पर बिना मय अनुज्ञा पत्र के विनिर्दिष्ट मापदण्ड से अधिक लंबाई चौड़ाई का आयुध धारदार छुरी अपने ज्ञानयुक्त आधिपत्य में अवैध रूप से रखे हुये पाये गये, जो कि म0प्र0 राज्य की अधिसूचना कं0-6312-6552(2)बी(1) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया?”

-: निष्कर्ष एवं उसके आधार :-
विचारणीय प्रश्न क0 1 का निराकरण

6- अभियोजन साक्षी संतोष गिरी (अ0सा02) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 18/03/09 को वह ए0एस0आई0 पी0आर0 सिरोही के साथ मुखबिर की सूचना मिलने पर लोहार चौक मेहरा मोहल्ला बोडखी दोपहर 3:00 बजे पहुँचा था वहां आरोपी राजा मोरले हाथ में धारदार छुरी लेकर कंचन को डरा धमका रहा था और कह रहा था कि तेरी बहन उसके खिलाफ रिपोर्ट की है देख लेगा। उसने मौके पर ही आरोपी को पकड़ा था सिरोही साहब ने आरोपी के कब्जे से एक लोहे की धारदार छुरा जप्त किया था और उसे गिरफ्तार किया था उसके पश्चात् वह लोग आरोपी के साथ लेकर पुलिस थाना आमला आ गये थे। सिरोही साहब ने उससे पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

7- आगे इस गवाह ने बताया है कि उसने ए0एस0आई0 पी0 आर0 सिरोही के साथ लगभग 1 वर्ष तक काम किया है। वह उनकी हस्तलिपि एवं हस्ताक्षर से भली भाँति परिचित है। उन्होंने उसके सामने कोई कई बार लिखापट्टी की है एवं हस्ताक्षर भी किये हैं वर्तमान में उनकी मृत्यु हो चुकी है। प्रकरण में संलग्न प्र0पी0 1 का जप्ती पत्रक एवं प्र0पी0 2 का गिरफ्तारी पत्रक उनकी हस्तलिपि में जिसके बी से बी भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। प्र0पी0 3 का साक्षी विक्की का कथन एवं साक्षी कंचन का कथन उनकी हस्तलिपि में है प्रकरण में संलग्न प्र0पी0 4 का प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 5 के रोजनामचा सान्हा उनकी हस्तलिपि में है जिनके ए से ए भागों पर उनके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्ष्य को प्रतिपरीक्षा में खंडन किया गया है।

8- इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में यह स्वीकार किया है कि जप्ती पत्रक प्र0पी0 1 पर नमूना सील नहीं लगी है। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि जप्ती पत्रक प्र0पी0 1 में जप्तशुदा छुरा का नाम किस चीज से किया है उसका उल्लेख प्र0पी0 1 में नहीं है। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की

कंडिका 6 में स्वीकार किया है कि धारदार छुरा की लंबाई चौड़ाई क्या थी वह नहीं बता सकता। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि धारदार छुरी की जप्ती उसने नहीं की थी।

9— आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि उसके द्वारा अभियुक्त के कब्जे से लोहे के छुरा की जप्ती नहीं बनाई गई। आगे इस गवाह ने स्वीकार किया है कि विवेचना अधिकारी पी०आर० सिरोही की मृत्यु हो गई है उनके द्वारा जो कार्यवाही की गई है वे ही बता सकते हैं। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि जप्ती के स्वतंत्र साक्षी राहुल और कंचन उन्हें रास्ते पर मिले थे फिर उन्हें गाड़ी में बैठा कर ले गये थे। आज वह यह नहीं बता सकता कि घटना के स्वतंत्र साक्षियों को जप्ती के गवाह नहीं बनाए। आगे गवाह ने स्वतः कहा कि उक्त तथ्य को विवेचक ही बता सकता है। आगे इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि वह आज यह नहीं बता सकता कि अभियुक्त के कि स्थान से लोहे की छुरा की जप्ती बनाई गई थी। आगे इस गवाह ने यह भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसने उसकी संपूर्ण साक्ष्य में यह नहीं बताया है कि एक लोहे की धारदार छुरा की जप्ती किस स्थान से की गई है। आगे इस गवाह ने स्वीकार किया है कि आरटीकल ए१ जो न्यायालय में पेश की गई है जो अभियुक्त के कब्जे से जप्त की गई थी वह यह नहीं है। आगे इस गवाह ने स्वीकार किया है कि रोजनामचा सान्हा की रवानगी वापसी उसके द्वारा नहीं लिखी गई हैं आगे इस गवाह ने स्वीकार किया है रोजनामचा सान्हा की प्रति आज लेकर नहीं आया है।

10— इस प्रकार इस गवाह के द्वारा प्रतिपरीक्षा में किए गए स्वीकृत तथ्यों से यही स्पष्ट होता है कि अभियुक्त के कब्जे से लोहे का धारदार छुरा की जप्ती नहीं की गई। चूंकि जो सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र०पी० 1 है उक्त संपत्ति के अनुसार न्यायालय के समक्ष आरटीकल ए१ की सम्पत्ति जो पेश की गई है वह अभियुक्त के कब्जे से पाई गई उस सम्पत्ति को न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की गई है और इस गवाह के द्वारा जो प्रतिपरीक्षा में स्वीकृत तथ्य बताए गए हैं उसके अनुसार लोहे का धारदार छुरा की लंबाई चौड़ाई क्या थी वह भी नहीं बताया गया है। क्योंकि समस्त छुरा प्रतिबंधित आकार के नहीं होते।

11— घटना स्थल के स्वतंत्र साक्षियों की साक्ष्य भी नहीं ली गई है। और विवेचना अधिकारी पी०आर० सिरोही जिनकी मृत्यु हो चुकी है। उक्त साक्षी ही घटना के संबंध में स्पष्ट कर सकता था और यह बता सकता था कि अभियुक्त को लोक स्थान से लोहे के धारदार छुरा की जप्ती बनाई गई। साथ ही इस गवाह के द्वारा लोक स्थान भी नहीं बताया गया है और वापसी रवानी भी मूल साथ लेकर नहीं आया और ना ही उसके द्वारा लिखा गया है। जप्ती पत्रक के साक्षी कंचन (अ०सा०२) ने जप्ती पत्रक प्र०पी० 1 एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्र०पी० 2 का समर्थन नहीं किया है और अपने कथन प्र०पी० 6 के अ से अ भाग पुलिस को देने से इंकार किया है। ऐसी परिस्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त के कब्जे से लोहे की धारदार छुरा की जप्ती की गई जो एक प्रतिबंधित आकार का था।

प्रकरण के विवेचक पी०आर० सिरौही जो कि फौत हो चुके हैं। जिनकी कार्यवाही के संबंध में उक्त साक्षी ने जप्ती पत्रक में नमूना सील का ना होना और जप्तशुदा छुरी का नाम किस चीज किया गया है उसका उल्लेख नहीं किया है जो कि उक्त प्रकरण के लिए आवश्यक है। घटना के स्वतंत्र साक्षी कंचन और विक्की ने उनके समक्ष जप्ती और गिरफ्तारी की कार्यवाही होने से इंकार किया है।

12— इस प्रकार इस गवाह के द्वारा प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यही स्पष्ट होता है कि इस गवाह के द्वारा घटना के समय या घटना में इस गवाह के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। साथ ही इस गवाह ने अपनी साक्ष्य में लोहे की छुरा की लंबाई व चौड़ाई नहीं बताया है, क्योंकि सभी छुरीयाँ प्रतिबंधित आकार की नहीं मानी जा सकती। साथ ही जप्ती पत्रक प्र०पी० 1 के स्वतंत्र साक्षी राहुल (अ०सा०१) एवं कंचन (अ०सा०३) ने भी सम्पत्ति जप्ती पत्रक का समर्थन नहीं किया है। उक्त दोनों साक्षी स्वतंत्र गवाह हैं और उक्त दोनों गवाहों की साक्ष्य को अविश्वास किए जाने का कोई कारण नहीं होती। ऐसी परिस्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि लोक स्थान पर अभियुक्त के कब्जे से लोहे के छुरी की जप्ती बनाई गई।

13— उपर्युक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने लोक स्थान पर आपने अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की छुरा रखे पाया। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं० 1 का निराकरण "अप्रमाणित" रूप से किया जाता है।

14— उपर्युक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने लोक स्थान पर आपने अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की छुरा रखे पाया। इस प्रकार अभियुक्त राजा मोरले को आयुध अधिनियम की धारा 25(1-बी) बी के अपराध के आरोप में दोषमुक्त किया जाता है।

15— प्रकरण में धारा 313 दं०प्र०सं० के पूर्व प्रस्तुत मुचलका भारमुक्त किए गए। आरोपी का धारा 428 दं०प्र०सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

16— प्रकरण में जप्तशुदा एक लोहे का छुरा मूल्यहीन होने से नष्ट किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का आदेश मान्य किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म०प्र०

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
आमला, जिला बैतूल म०प्र०